छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार -

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2011 तथा
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

1. अधिसूचना क्रमांक 589 एफ-2/(2)/12/48/सं.का. तथा
2. अधिसूचना क्रमांक 591/एफ-2/(3)/12/48/सं.का., दिनांक 13 सितम्बर, 2012 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10/छ.ग. सि.प्र. निर्वाचन नियम 2006/एस-2/2012, दिनांक 25 जून, 2012 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) का वैधानिक संकलित अंकेक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन, प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 8.10.2004 से 31.3.2006 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-14/2011/32, दिनांक 20 जून, 2012 पटल पर रखेंगे.

क्रमश: 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, राष्ट्रीय बीमा योजनांतर्गत स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा अवैध रूप से राशि आहरण किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, रायपुर एवं गरियाबंद जिले में खनिज का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-4,प्रेमनगर से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती रेणुका सिंह को दिसम्बर,2012 सत्र में दिनांक 11 दिसम्बर,2012 से दिनांक 21 दिसम्बर,2012 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. संकल्प

निर्धारित समय
1 घंटा

श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन सिफारिश करता है कि छोटे-छोटे किसानों, खुदरा व्यवसाइयों एवं दुकानदारों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर देशहित में पुनर्विचार करे।''

रायपुर
दिनांक 12 दिसम्बर,2012

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.